

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश


कमांक/स्था.2/ई-10-11/सी- /07/988

भोपाल, दिनांक 15/6/07

//आदेश//

म. प्र. शिक्षा सेवा (शाला शाखा) भरती तथा पदोन्नति नियम 1982 में संशोधन संबंधी स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना कमांक एफ-13-64/06/बीस-1 दिनांक 21.3.2007 को प्रकाशित असाधारण राजपत्र अनुसार प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय की पदोन्नति विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर किये जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त संशोधित नियमों के प्रकाश में संचालनालय के आदेश दिनांक 2.4.2007 द्वारा प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय से विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पर पर पदोन्नति आदेश जारी किया गया। इसके परिपेक्ष्य में नवीन पदोन्नत विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के फलस्वरूप पूर्व से विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के रूप में पदस्थ व्याख्याता श्री जे.पी.यादव द्वारा अपनी उपस्थिति जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दी है, को विषयमान से व्याख्याता के रिक्त पद पर शासन से प्राप्त एकल नस्ती कमांक 331 दिनांक 8.6.2007 पर पशासकीय अनुमोदन अनुसार उनके नाम के सम्मुख कॉलम कमांक 5 में अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता है :-

स. क.	पूर्व विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी (व्याख्याता) का नाम	विषय	पूर्व पदस्थापना	नवीन पदांकित संस्था
1	2	3	4	5
1	श्री जे.पी.यादव	गणित	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मोहखेड जिला छिन्दवाडा	शास. उ.मा.वि. नोहटा जिला दमोह


आयुक्त लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

पृष्ठा. कमांक/स्था.2/ई10-11/सी- /07/989
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 15/6/07

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी स्कूल शिक्षा, म.प्र.शासन, मंत्रालय भोपाल।
2. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
4. आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र. भोपाल।

5. कलेक्टर जिला छिन्दवाडा/दमोह म.प्र.
6. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय जबलपुर संभाग जबलपुर/सागर म.प्र.।
7. जिला कोषालय अधिकारी जिला छिन्दवाडा/दमोह म.प्र.
8. जिला शिक्षा अधिकारी जिला छिन्दवाडा/दमोह म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. संबंधित संस्था प्राचार्य ।
10. संबंधित व्याख्याता की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

आयुक्त लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश